अध्याय II: आंतरिक नियंत्रण और निगरानी

2.1 डीजीएफटी और डीओसी को अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं और आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धतियों और पुरस्कार तथा प्रोत्साहन योजनाओं के परिणामी पैमाइश को मजबूत करने की आवश्यकता है।

डीओसी या इसके सीसीए ने डीजीएफटी या क्षेत्रीय इकाईयों की कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की। डीजीएफटी के अनुसार, अतिरिक्त महानिदेशक रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में डीजीएफटी नई दिल्ली की एक निरीक्षण इकाई निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं सहित आरएज़ के कार्यालयों का समय-समय पर निरीक्षण करती है। आर्थिक मामले विभाग के नियंत्रक सहायक, लेखा एवं लेखापरीक्षा ने बताया (अक्टूबर 2012) कि डीजीएफटी द्वारा जारी विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन लाइसेंसों की उनके द्वारा लेखापरीक्षा की जानी थी लेकिन उन्होंने ऐसी कोई लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की।

डीजीएफटी ने लाईसेंसों और ब्राण्ड दरों पर आरएज़ को परिचालित जनवरी 2000 और अक्टूबर 2003 के अपने नीति परिपत्र में बताया कि यादृच्छिक आधार पर चयनित लगभग पांच से दस प्रतिशत मामलों की आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा पश्च् लेखापरीक्षा की जानी थी और उस पर की गई अपेक्षित अनुवर्ती कार्रवाई के तुरन्त बाद उपयुक्त स्तर पर मामलों की समीक्षा की जानी थी। इससे आरएज़ को कार्यालय के संबंध में लेखापरीक्षा गतिविधियों के लिए अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में एक आंतरिक लेखापरीक्षा विंग बनाने की आवश्यकता थी। आरएज़ को समुचित निगरानी के लिए सभी रजिस्टर/अभिलेख जैसे- दावा प्राप्ति रजिस्टर, चेक भुगतान रजिस्टर, मासिक तकनीकी प्रतिवेदन और पश्च् लेखापरीक्षा रजिस्टर आदि का रख-रखाव करना चाहिए।

एचबीपी, खण्ड 1 के पैराग्राफ 4.45 के अनुसार आरए ऐसे सभी मामलों की निगरानी करेगा जिनमें (बीआरसी) के बिना ही शेयर जारी कर दिया गया और यह सुनिश्चित करेगा कि बीआरसी शेयर जारी करने की तिथि से 12 महीने के भीतर या आरबीआई द्वारा अनुमत किसी बढ़ाई गई तिथि के भीतर प्रस्तुत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एचबीपी के पैराग्राफ 4.40.2 के अनुसार पत्तनों

के प्रत्येक सीमाशुल्क कार्यालय डीईपीबी के तहत किए गए निर्यातों के विवरण का अलग से रिकार्ड रखेंगे।

राजस्व विभाग के दिनांक 27 जून 2002 के एमओएफ पत्र सं.एफ.सं.ए-11019/34/2001-एडी.IV के अनुसार निर्यात प्रोत्साहन के महानिदेशक (डीजीईपी), सीबीईसी भी सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों में विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत अनुमत शुल्क मुक्त आयातों के चयनित मामलों की पश्च् लेखापरीक्षा करने भी हेतु दायी हैं। इस उद्देश्य के लिए डीजीईपी व्यापार, ईओयूज़, एसटीपीआईज़, सेज के साथ वार्तालाप करता है और इन कार्यालयों की लेखापरीक्षा भी देखता है।

2.2 आरएज़ पर आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

यद्यपि डीजीएफटी के जनवरी 2000 तथा अक्टूबर 2003 के अनुदेशों के अनुसार निर्धारित प्रतिशतता पर सभी प्राधिकरणों की नमूना जांच/समीक्षा की प्रणाली बनाई गई है, उपरोक्त परिपत्र के विपरीत आठ आरएज़ (हैदराबाद, विशाखापत्तनम, चेन्नई, कोयम्बतूर, मदुरै, अहमदाबाद , पुदुच्चेरी एवं कटक) में इसको प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है। केएसेज़, गांधीधाम और एमईपीजेड चेन्नई में भी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली का पालन नहीं किया गया था।

- यद्यपि आरए जयपुर ने डीईपीबी स्क्रिप के संबंध में 100 प्रतिशत आंतरिक जांच का दावा किया, कम/गैर आरोपण की विलम्बित कटौती अनुचित एफओबी मूल्य के कारण मंजूर किए गए अधिक डीईपीबी, एसबीज़ के बदले बीआरसीज़ की उच्चतर एफओबी मूल्य के कारण अथवा अनुचित रूप से उच्चतर विनिमय दर लागू करने के कारण निगरानी व नियंत्रण के अपर्याप्त तंत्र के उदाहरण लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान देखे गए।
- आरए, जयपुर में डिमांड ड्राफ्ट की समाप्ति (₹ 2500) और आवेदन शुल्क के कम भुगतान (₹ 1000) की घटनाएं भी देखी गई थी।
- इसके अतिरिक्त, आवेदकों द्वारा विभिन्न प्राधिकरणों में प्रासंगिक दस्तावेज जैसे आरसीएमसी, बीआरसीज़/एफआईआरसीज़, शिपिंग

बिल्स/निर्यात के बिल्स और विभिन्न प्राधिकरणों में पंजीकरण की वास्तविकता का भी सत्यापन नहीं किया जा रहा था।

- आरए, कटक के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग ने केवल कार्यालय के नकद और आकस्मिक व्यय की लेखापरीक्षा की, न कि योजना की। इस प्रकार, डीईपीबी योजना हेतु कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं थी। इसके अलावा, योजना पर कोई आंतरिक नियंत्रण नहीं था, क्योंकि विभाग जारी किए गए डीईपीबी शेयरोंकी सटीक संख्या, एफओबी मूल्य और वर्षवार डीईपीबी क्रेडिट आंकड़े देने में समर्थ नहीं था। आरए, कटक द्वारा बनाया गया डीईपीबी रजिस्टर होम पेज पर इलेक्ट्रॉनिक डाटा और राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए डाटाबेस के साथ जारी डीईपीबी शेयरों पर एमआईएस रिपोर्ट से भिन्न था।
- आरएज़ कानपुर और वाराणसी तथा एनसेज नोएडा ने बीआरसी की छायाप्रति के आधार पर 2005-06 से 2012-13 के दौरान ₹ 63.08 लाख मूल्य के 11 डीईपीबी शेयर जारी किए।

आरएज़ जयपुर और अहमदाबाद तथा केएसेज़ गांधीधाम ने लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कीं। आरए, अहमदाबाद ने आगे कहा कि सीमाशुल्क से पूरी तरह से सत्यापित एसबीज़ प्राप्त किए गए थे और बैंक से विधिवत प्राधिकृत बीआरसीज़ प्राप्त हुए, अतः अलग से रजिस्टर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि एसबीज़ और बीआरसीज़ का 100 प्रतिशत सत्यापन कर लिया गया था।

आरए, अहमदाबाद का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उपरोक्त परिपत्र के अनुसार आरए के पश्च् लेखापरीक्षा विंग को डीईपीबी लाइसेंसों और गैर ईडीआई एसबीज़के 5 प्रतिशत का चयन करना था और चयनित फाइलों की बीआरसी का संबंधित पत्तन और बैंक द्वारा प्रति-सत्यापन किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि आईसीडीज़ मंडीदीप और पीतमपुर, आईसीडी संतनगर और एअर कार्गो हैदराबाद में निगरानी और आंतरिक लेखापरीक्षा की कोई प्रणाली नहीं थी। एसीसी बैग्लुरू ने माना कि कोई आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं थी। यद्यपि समुद्री पत्तन, चेन्नई और कोच्ची तथा एयरपोर्ट,

तिरूवनन्तपुरम में आंतरिक लेखारीक्षा विभाग विद्यमान था, डीईपीबी मामलों की लेखापरीक्षा नहीं की गई।

राजस्व विभाग ने उत्तर दिया (जनवरी 2014) कि बोर्ड के परिपत्र स. 14/1999-सी.शु. दिनांक 15.3.1999 में डीइपीबी स्क्रिप के उपयोग किये जाने से पहले पंजीकरण हेतु विस्तृत सत्यापन प्रक्रिया निर्धारित की। लदान बिल और डीइपीबी स्क्रिप के इलैक्ट्रानिक ट्रांसमिशन के प्रारंभ होने पर, आनलाईन वैधता जांच आरंभ की गई (परिपत्र सं.11/2007-सी.शु. दिनांक 13.2.2007)। पश्च निकास लेखापरीक्षा निर्यात के लिए निर्धारित की गई है। ये सभी लेखापरीक्षा नियंत्रण की प्रकृति के थे।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि सभी आरएज़ पर पोस्ट इश्यू आडिट विंग (पीआईएडब्ल्यू) स्थापित कर दी गई है।

राजस्व विभाग ने उत्तर दिया (जनवरी 2014) कि प्रोत्साहन और पुरस्कार योजनाएं डीजीएफटी के अधिकार क्षेत्र में हैं। तथापि, यह विभाग निगरानी और अनुपालन को मजबूत करने के लिए सुझावों की जांच के लिए खुला है।

डीजीएफटी और राजस्व विभाग के उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि लेखापरीक्षा ने पाया कि समय-समय पर डीजीएफटी और राजस्व विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देश क्षेत्रीय संरचनाओं में लागू/निगरानी नहीं की गई थी।

सिफारिश: *आरएज़/सीमाशुल्क इकाईयों, पत्तनों की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को प्रोत्साहन योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन, निगरानी और अनुपालन के लिए मजबूत करने की आवश्यकता है।*

2.3 पत्तनों पर निगरानी और आंतरिक नियंत्रण

पत्तनों पर प्रत्येक कस्टम हाऊस एचबीपी, खंड 1, 2009-14, के पैराग्राफ 4.40.2 के अनुसार डीईपीबी के अंतर्गत निर्यात के ब्यौरों का अलग रिकॉर्ड तैयार करेगा।

- केएसेज़, पत्तन, गांधीधाम पर, डीईपीबी योजना के अंतर्गत निर्यात (निर्यात बिल) के विवरण दर्शाते हुए अलग रजिस्टर/रिकॉर्ड बनाने की अपेक्षा एक समेकित 'निर्यात रजिस्टर का बिल' तैयार किया गया था।

- आईसीडी, गढ़ी हरसरू (गुड़गांव) में सभी निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं से संबंधित रिकॉर्ड योजना वार वर्गीकरण की अपेक्षा इकट्ठे रखे गये थे। सभी निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के लिए सभी जारी/प्राप्त टीआरएज़ की सूचना वाली एक संयुक्त फाईल तैयार की गई थी, कोई अलग योजना वार रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, जिसके न होने के कारण, अवधि के दौरान जारी/प्राप्त टीआरएज़ की कुल संख्या मैन्यूली अर्थात (2005-06 से 2009-10) प्राप्त नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त, वास्तविक लाइसेंस धारक द्वारा डीईपीबी स्क्रिप आदि की बिक्री/स्थानांतरण से संबंधित कोई रिकार्ड कस्टम पोर्ट में नहीं रखा गया था।

राजस्व विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि समेकित रिकार्ड रखने के पहलू पर, क्षेत्राधिकार की रिपोर्ट प्रतीक्षित है और स्वीकार किया कि स्वतंत्र रूप से स्थानांतरण योग्य डीईपीबी स्क्रिप की बिक्री/स्थानांतरण सीमा शुल्क द्वारा तैयार नहीं रखा गया है, परंतु स्थानांतरण मुक्त बिलधारक-आयातक द्वारा इसका उपयोग कस्टम रिकॉर्ड में नहीं दर्शाया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि किसी योजना के संबंध में अलग रिकॉर्डों के अभाव में, चूक के मामलों की उचित निगरानी या उस पर कार्रवाई करना संभव नहीं था।

2.4 डीईपीबी शुल्क क्रेडिट लाभ का दुरूपयोग

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट (अनुबंध VII) में वर्ष 2005-06 से 2011-12 के दौरान डीईपीबी योजना के दुरूपयोग के निम्नलिखित मामलों की सूचना दी थी। यह प्रवृति रोचक है क्योंकि योजना के बंद होने के आरंभिक तीन वर्षों में घोषणा की गई थी (2002), पाये गये मामलों की संख्या काफी अधिक थी। यह सीइसीए के आरंभ से भी मेल खाता है। तीन वर्षों की एक धीमी अवधि के बाद हुए दुरूपयोग डीइपीबी अवधि के अंतिम रूप से आस-पास बंद होने से बढ़ गये। दुरूपयोग की प्रवृति गलत मूल्यांकन, गलत वर्गीकरण, गलत-घोषणा, राऊडं ट्रिपिंग आदि के कारण थी। इन प्रवृतियों का अध्ययन भावी योजना सूत्रीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण

उद्देश्य पूरा कर सकता है। डीआरआई द्वारा अधिकतर जब्त की गई उपयोगी वस्तुओं में वस्त्र/फेबरिक/धागा, कच्चा ताड़ का तेल आदि थे।

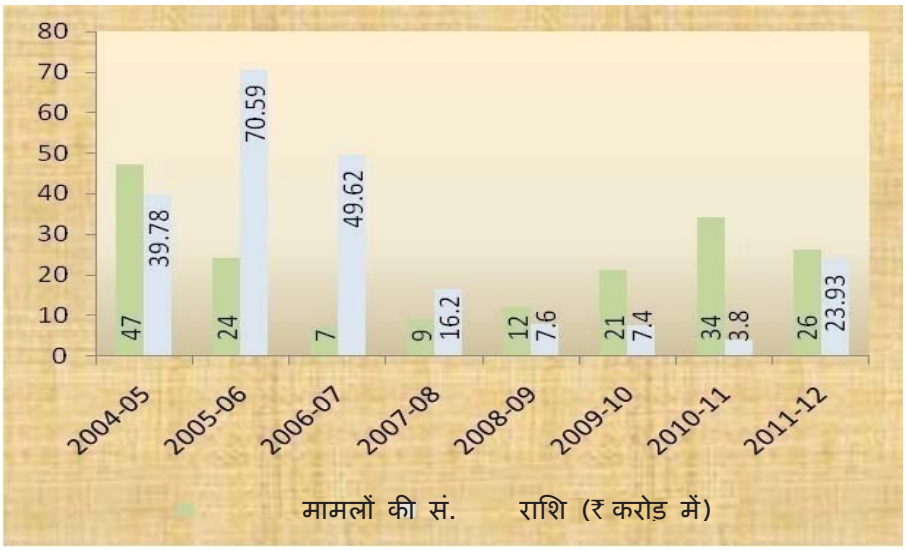

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2003-04 और 2011-12 की अवधि के दौरान दुरूपयोग के 60 मामले दो आरएज़ (कोच्ची, कोलकाता) और दो कस्टम पत्तनों (आईसीडी हैदराबाद, एसीसी बैग्लुरू) में पाये गये थे।

एसीसी, बैग्लुरू द्वारा आईसी-ईंजन पार्टस जैसे वाल्व सीट, बुशिंग, टर्बो चार्जर पार्ट्स, नोज़ल ब्लैंक रिंग्स आदि के लिए डीइपीबी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के दुरूपयोग और "एलॉय स्टील कास्टिंग्स" के रूप में माल की गलत-उदघोषणा के एक मामले का पता चला। उक्त की जानकारी आरए, बैग्लुरू को दे दी गई थी और निर्यातक को एससीएन जारी कर दिया गया था। मामले का अंतिम परिणाम मार्च 2014 तक प्रतीक्षित है।

डीआरआई और कोलकाता में सीमाशुल्क आयुक्तालय की निवारक इकाई ने एसबीज़ का छलपूर्ण रूपांतर या डीईपीबी लाभ प्राप्त करने हेतु निर्यातित माल भारतीय मूल के होने की स्वेच्छा से की गई गलत उदघोषणा के लिए 2003 से 2011 की अवधि के दौरान ₹ 54.86 लाख योजना राशि के दुरूपयोग के 14 मामले पाये। मामलों के अधिनिर्णयन पर, आरए, कोलकाता द्वारा ₹ 55.16 लाख का जुर्माना लगाया गया था। तथापि, एक मामले को छोड़कर अधिनिर्णयन आदेश की प्रति सीमाशुल्क प्राधिकारी को प्रेषित नहीं की गई थी।

राजस्व विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि डीआरआई विशेष आसूचना के आधार पर मामलों पर कार्यवाही करती है और इसने अपनी जोनल इकाईयों से इकट्ठा करके डीईपीबी योजना के दुरूपयोग पर मामलों के ब्यौरे दे दिये हैं। डीआरआई द्वारा जांच और कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद मामले विभिन्न अधिनिर्णयन प्राधिकारियों/सीमाशुल्क के आधिकारिक आयुक्त के पास पड़े हैं। इसके अलावा, जबकि मामलों की संख्या और वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाई गई शुल्क राशि जांच पर आधारित है, यह कारण बताओ नोटिस में मांगी गई राशि से अलग हो सकती है।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया कि विदेश व्यापार (विकास और विनियम) अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तथापि, डीजीएफटी ने लेखापरीक्षा को इन मामलों में की गई कार्रवाई का कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं करवाया था।

2.5 डीजीएफटी की इडीआई प्रणाली में कमियां

प्रक्रियाओं को सरल करने, लेन-देन लागत को कम करने के लिए और विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं हेतु व्यापार और उद्योग के इलैक्ट्रानिक वाणिज्य समाधान उपलब्ध कराने के लिए, सीमाशुल्क इडीआई पोर्ट्स से 1 अक्तूबर 2005 तक या बाद में जारी इलैक्ट्रोनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) एसबी (डीइपीबी योजना के लिए) से संबंधित डाटा का एक डिजिटल प्लेटफार्म पर सीमाशुल्क और डीजीएफटी के बीच आदान-प्रदान किया गया था। डीओसी के परिणाम बजट में डीईपीबी योजना पूर्णत: आनलाईन होने का दावा किया था। लेखापरीक्षा ने आरएज़ में प्रणाली में निम्नलिखित कमियां देंखी:-

- ईडीआई मोड्यूल विदेशी व्यापार करार (एफटीएज़) के अंतर्गत किये गये निर्यात को कैपचर नहीं कर सका।
- इडीआई मोड्यूल ने आरए/डीजीएफटी/सीमाशुल्क के बीच डीईपीबी स्क्रिपस के हस्तांतरण और बिक्री से संबंधित सूचना की ऑनलाईन शेयरिंग हेतु कोई पद्धति उपलब्ध नहीं कराई।

सभी प्रासंगिक सूचना प्राप्त करने के लिए उचित पद्धति के अभाव में, सीमा शुल्क/डीजीएफटी के पास एफटीएज़ या शुल्क स्क्रिपस की बिक्री/हस्तांतरण/ उपयोग के अंतर्गत किये गये निर्यात पर कोई ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे।

राजस्व विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि मुक्त व्यापार करार में शामिल होने के लिए प्रमुख एजेंसी वाणिज्य मंत्रालय है। सीमाशुल्क की तरफ से, एफटीए के अंतर्गत निर्यात लाभ से संबंधित किसी एफटीए को प्राप्त नहीं करता। इसलिए, ऐसे निर्यातों के लिए कोई अंतर नहीं किया गया। मुक्त हस्तांतरण योग्य डीईपीबी स्क्रिपों की बिक्री/हस्तांतरण सीमा शुल्क द्वारा नहीं रखे गये, परन्तु स्थानांतरिती धारक-आयातक द्वारा इसका उपयोग सीमाशुल्क रिकॉर्ड में दर्शाया गया है।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली एफटीएज़ के अंतर्गत किये गये निर्यात को ग्रहण नहीं करता। ये भारत के एफटीए सहयोगी देश में आयातक है न कि भारतीय निर्यातक जो यह घोषणा करता है कि आयातक एफटीएज़ के अंतर्गत हैं।

राजस्व विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एफटीएज़ ने शुल्क छूट प्रदान की और परिणामस्वरूप शुल्क छोड़ा गया। डीजीएफटी का उत्तर इस तथ्य को नजरअंदाज करता है कि डीईपीबी, निर्यात से अर्जित होता है और किसी आयातो के लिए उपयोग हो सकता है, इसलिए कोई व्यापारी किसी लक्ष्य और अवमूल्यन आयात (उच्च आयात शुल्कों सहित) जो व्यापार वृद्धि के लिए मार्गावरोध हो सकते थे, के लिए निर्यात (निर्यात/पीएमवी पर आरएमएस/मूल्यांकान न होना पर तथा बीआरएस के साथ न जुड़ा होना) का अधिक मूल्य कर सकता था।

2.5.1 ईडीआई लदान बिल और पीएमवी के सत्यापन के बिना शुल्क क्रेडिट के जारी करने पर मौजूदा बाजार मूल्य (पीएमवी) के सत्यापन हेतु तंत्र का अभाव

एचबीपी 2004-09 और 2009-14 का पैराग्राफ 4.43 दर्शाता है कि जहां डीईपीबी योजना के अंतर्गत क्रेडिट पात्रता की दर डीईपीबी योजना के तहत शुल्क क्रेडिट हेतु उत्पादों की पात्रता के संबंध में दस प्रतिशत या अधिक के

अंतर्गत आती है, वहां प्रत्येक ऐसे निर्यात उत्पाद के प्रति क्रेडिट राशि निर्यात उत्पाद के मौजूदा बाजार मूल्य (पीएमवी) के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। निर्यात के समय निर्यातक एसबी पर यह घोषणा करेगा कि निर्यात उत्पाद के प्रति डीईपीबी योजना के अंतर्गत लाभ निर्यात उत्पाद के पीएमवी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। तथापि, पीएमवी उदघोषणा उन उत्पादों पर लागू नहीं होगी जिन उत्पादों के लिए डीईपीबी दर का चयन किए बगैर वैल्यू कैप मौजूद है।

नीति परिपत्र सं. 28 (आरई-2005)/2004-09, दिनांक 6 अक्तूबर 2005 दर्शाते हैं कि आवेदकों को डीईपीबी एसबीज़ की एक प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। आरए केवल डीईपीबी ईकॉम मोड्यूल पर प्रस्तुत किये गये डाटा के आधार पर डीईपीबी दावे को अंतिम रूप प्रदान करेगा। तथापि, आरए अपने विवेक के आधार पर, एफटीपी और एचबीपी के अनुसार डीईपीबी की स्वीकार्यता से स्वयं को संतुष्ट करने के लिए अपेक्षित ऐसे अतिरिक्त दस्तावेज के लिए मांग कर सकता है।

आरएलए, मुंबई के इडीआई डाटा की संवीक्षा ने दर्शाया कि जहां लाइसेंस धारक ने इलैक्ट्रानीकली अपना आवेदन फाईल किया है, वहां लाईसेंसधारक द्वारा एसबीज की एक प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। एसबीज़ के ब्यौरे ऑनलाईन ई-शिपिंग बिल में उपलब्ध थे। तथापि, ई-शिपिंग बिलों की आनलाईन प्रक्रिया निर्यात उत्पाद के पीएमवी को नहीं दर्शाती, इसलिए उन्हें आरएलए, मुंबई के ईडीआई सिस्टम में नहीं दर्शाया गया था। इसलिए, आरएलए मुंबई जहां उत्पादों की डीईपीबी दर दस प्रतिशत या अधिक थी मदों के पीएमवी का सत्यापन नहीं कर सकी। इस सूचना के अभाव में, पीएमवी जहां शुल्क क्रेडिट दस प्रतिशत या उससे अधिक है और कोई अधिकतम मूल्य नहीं है, के प्रमाणीकरण हेतु आधारभूत शर्तों को लाईसेंस के जारी करने से पहले आरएलए, मुंबई द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आरएलए, मुंबई ने पीएमवी सत्यापन के बिना इलैक्ट्रानिक उत्पाद कोड 83(क्रम सं. 73) के अंतर्गत टीवी पिक्चर ट्यूबस हेतु टीवी ग्लास/बल्बस्/शैल/ ग्लास पूर्जों के निर्यात के लिए मै. विडीयोकॉन

इंडस्ट्रीज लिमि. को ₹ 23.95 करोड़ की राशि वाले 19 डीईपीबी स्क्रिपस जारी किये।

आरए, कोलकाता ने स्वीकार किया कि पीएमवी सत्यापन के लिए आरए कार्यालय में कोई प्रणाली नहीं है।

राजस्व विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि फिल्डस हेतु डॉटा की आवश्यकता होगी डीजीएफटी द्वारा सीमा शुल्क से निर्धारित किया जाता है।

डीजीएफटी ने आरए, मुंबई के उत्तर को दोहराते हुए अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया कि पीएमवी के 50 प्रतिशत से अधिक डीईपीबी लाभ की स्थिति केवल दुर्लभतम मामलों में ही उत्पन्न होगी क्योंकि प्रावधान दर्शाता है कि जहां भी डीइपीबी दर 10 प्रतिशत या अधिक तक होती है, शुल्क क्रेडिट पीएमवी से 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यह ध्यान रखना भी उचित है कि तथापि डीजीएफटी ने सीमा शुल्क से अपने इडीआई सिस्टम में पीएमवी से संबंधित ब्यौरें प्राप्त नहीं किये, डीजीएफटी ने निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किये गये लदान बिलों की एक प्रति में दिये गये ब्यौरों पर आधारित अपनी प्रक्रिया में पीएमवी गणना को बांटा। लेखापरीक्षा इन परिस्थितियों के अंतर्गत अपनाई गई कार्य पद्धति का सत्यापन करने की स्थिति में नहीं है।

2.5.2 डीईपीबी योजना के अंतर्गत विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना (वीकेयूजीवाई) का गलत वर्गीकरण

एचबीपी खण्ड 1 का पैराग्राफ 2.56 दर्शाता है कि किसी योजना-लदान बिल; जिस पर इस योजना के लाभ प्राप्त नहीं किये गये हैं; की एक निर्यात प्रोत्साहन (ईपी) प्रति का परिवर्तन लिखित में कारण रिकार्डिंग के बाद, सीमाशुल्क प्राधिकारी अनुमति देते हैं, निर्यातक योजना; जिसकी शिपमैंट बाद में परिवर्तित कर दी गई है, के अंतर्गत लाभ हेतु पात्र होंगे।

आरए जम्मु ने 2005-06 और 2006-07 के दौरान वीकेयूजीवाई योजना के लिए ₹ 2.92 करोड़ राशि वाले सात शुल्क क्रेडिट स्क्रिपस जारी किये और वही डीईपीबी योजना (कोड: 06) के अंतर्गत दर्ज किये गये थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वे इडीआई डाटा में डीईपीबी योजना से भौतिक रूप से हटाये

बिना वीकेयूजीवाई के अंतर्गत सही रूप से शामिल किये गये थे। चूँकि ये मामले इडीआई डाटा में डीईपीबी योजना के अंतर्गत दिखाये जाने जारी थे इसलिए इससे इडीआई डाटा की सम्पूर्णता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

डीजीएफटी ने यह स्वीकार करते हुए कि वीकेवाईयू के अंतर्गत शुल्क स्क्रिप जारी किये गये थे और डीईपीबी योजना में गलती से प्रविष्ट किये गये थे; कहा (फरवरी 2014) कि कोई व्यक्ति डीईपीबी और वीकेजीयूवाई दोनों के अंतर्गत लाभों का दावा कर सकता है, यदि प्रश्नगत उत्पाद इन योजनाओं के अंतर्गत हकदार है। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि यदि किसी व्यक्ति ने डीईपीबी योजना के अंतर्गत लाभों का दावा किया है, वह वीकेजीयूवाई योजना के अंतर्गत लाभ का दावा नहीं कर सकता। इसलिए, सरकार को कोई हानि नहीं हुई।

डीजीएफटी का उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से संबंधित नहीं है। उठाया गया मुद्दा यह था कि वीकेजीयूवाई के तहत जारी स्क्रिपस को ईडीआई सिस्टम में डीईपीबी योजना के अन्तर्गत डाला गया था न कि स्क्रिप धारक की पात्रता से संबंधित था। इसके अतिरिक्त, एफटीपी के पैराग्राफ 3.13.3 के अनुसार, वीकेजीयूवाई तथा डीईपीबी के लाभ को समान दर पर मंजूरी नहीं दी जा सकती।

2.5.3 लाइसेंस ब्यौरों के बिना डेबिट किया गया शुल्क क्रेडिट

एयर कार्गो कांपलैक्स, बैग्लुरू द्वारा प्रस्तुत किये गये डाटा की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 1,11,161 मदें 2005-06 से 2011-12 तक डीईपीबी योजना के अंतर्गत आयात किये गये थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि 279 मदों के संबंध में ₹ 1.01 करोड़ राशि का शुल्क डेबिट किया गया था, फिर भी लाइसेंस के कोई ब्यौरे डाटा में नहीं पाये गये। लाइसेंस ब्यौरों के अभाव में, लेखापरीक्षा में शुल्क डेबिट करने में सटीकता प्राप्त नहीं की जा सकी।

डीजीएफटी का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2014)।

राजस्व विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि बैंगलूरू सीमाशुल्क ने सूचना दी है कि से 279 मदों में से (61 प्रविष्ट बिलों के अंतर्गत) क्र.सं. 60 से 63, क्र.सं. 120-277 जिनके लिए पंजीकरण संख्याएं

उपलब्ध हैं, के लिए डेबिट ब्यौरे देखे जा सकते हैं। शेष मदों के लिए, डाटा नये आईसीईएस 1.5 सिस्टम में उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह पूर्व अवधि अर्थात 2005, 2006 से संबंधित हैं। आयुक्त को एनआईसी/निर्यातकों से शेष ब्यौरों को प्राप्त करने के लिए निदेश दिये जा रहे हैं।

2.5.4 'शून्य' डीईपीबी दर के साथ माल के निर्यात पर शुल्क क्रेडिट प्रदान करना

संशोधित एफटीपी 2010-11 के पैराग्राफ 4.3.1 के अनुसार, निर्यातक एफओबी मूल्य की विनिर्दिष्ट प्रतिशतता पर मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में क्रेडिट हेतु अनुरोध कर सकता है। ऐसे क्रेडिट किए गए ऐसे प्रत्येक निर्यात उत्पाद के प्रति डीजीएफटी द्वारा विनिर्दिष्ट सार्वजनिक नोटिस (पीएन) के माध्यम से निर्धारित दरों पर उपलब्ध होगा। शुल्क क्रेडिट मुक्त आयात योग्य मदों और/या निषिद्ध मदों पर सीमाशुल्क की अदायगी हेतु उपयोग किया जा सकता है।

आरए चेन्नै ने निर्यात जिसके प्रति डीईपीबी दरें (दोनों एफओबी मूल्य के प्रतिशत के रूप में और मूल्य कैप की दर के रूप में) 'शून्य' थीं; पर ₹ 552.54 करोड़ की एफओबी राशि के प्रति ₹ 29.38 करोड़ राशि डीईपीबी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप जारी किये।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि सिस्टम त्रुटि के कारण लदान बिल '0' दिखाये जाते हैं हालांकि विनिर्दिष्ट डीईपीबी दर मौजूद थी।

डीजीएफटी ने उत्तर की पुष्टि की कि ईडीआई सिस्टम में गड़बड़ थी और उनपर पूर्णतः निर्भर नहीं रहा जा सकता था।

2.5.5 आनलाईन सिस्टम डाटाबेस में कमियां

वर्ष 2008-09 के लिए डीईपीबी दरें पीएन दिनांक 5 नवंबर 2008 द्वारा संशोधित की गई थीं। तथापि, बाद में विभाग ने पाया कि कॉटन यार्न मद (डीईपीबी क्र.सं. 78/89) के लिए अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों में एक विसगंति थी। जिसे 7.67 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया था परंतु अंग्रेजी संस्करण में 3.67 प्रतिशत और सिस्टम के डीईपीबी शेड्यूल के हिंदी संस्करण

में 7.67 प्रतिशत प्रकाशित किया गया। पीएन द्वारा दिनांक 5 नवम्बर 2008 को अधिसूचित दरों पर वेबसाईट में किये गये किन्हीं परिवर्तनों के विवरण के बारे में मई 2009 में डीजीएफटी द्वारा वरिष्ठ तकनीकी निदेशक तथा एनआईसी अधिकारी से सवाल पर, एनआईसी द्वारा यह सूचित किया गया कि सिस्टम ने 'चेंज हिस्ट्री' की पुन: प्राप्ति को स्वीकार नहीं किया तथा उसे जल्द ही संस्थापित किया जाएगा। डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि पिछले दो वर्षों के लिए परिवर्तनों/संशोधनों का पता लगाने हेतु एक सिस्टम की स्थापना की गई है।

लेखापरीक्षा ने निष्कर्ष दिया कि सिस्टम को लेखापरीक्षा अवधि (2007-13) के दौरान कोई निशानी छोड़े बिना किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा परिवर्तित किए जाने का जोखिम था तथा इसे आगामी लेखापरीक्षाओं के दौरान सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

2.5.6 डीजीएफटी की सीमाशुल्क पत्तनों से एसबीज़ के ट्रांसमिशन में विलम्ब

सीमाशुल्क प्राधिकारी को डीजीएफटी प्रणाली और अपलोडिड सूचना के आधार पर इडीआई एसबी डाटा अपलोड करना था निर्यातक को संबंधित आरए से आनलाईन आवेदन फाईल करना था। एचबीपी खण्ड 1 के पैराग्राफ 4.46 के अनुसार, क्रेडिट प्राप्ति के लिए आवेदन निर्यात की तिथि से बारह महीनों की अवधि के अंदर या डीजीएफटी वेबसाईट पर ईडीआई एसबी ब्यौरों की अपलिकिंग तिथि, या एसबी के प्रकाशन/निर्गमन की तिथि से तीन महीनों के अंदर; जो भी बाद में हो, फाईल किये गये दावों के लिए लदान के संबंध में फाईल किये जाएंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डीजीएफटी साईट पर एसबीज़ की अपलोडिंग में जांचे गये सात आरएज़ भोपाल, मुंबई, पुणे, नई दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद और लखनऊ में 30 से 1553 दिनों तक के बीच विलम्ब था।

राजस्व विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि लदान बिल लदान लाईनों द्वारा उचित ईजीएम को भरने के बाद सीमाशुल्क से डीजीएफटी सिस्टम तक आनलाईन भेजे गये हैं बशर्ते कि बिल निर्धारण अन्तिम है और अस्थायी नहीं है। ट्रांसमिशन केवल निर्यात के समय पर लैट एक्सपोर्ट ऑर्डर

(एलईओ) स्तर के गुजर जाने के बाद नहीं किया गया है। तकनीकी सुधारों या इजीएम त्रुटियों के बाद पुनः ट्रांसमिशन अपेक्षा वाले कुछ मामले हो सकते हैं।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि आपत्तियां मुख्यतः सीमाशुल्क से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि निर्यातक को डीजीएफटी वेबसाईट में ईडीआई लदान बिलों की विलम्बित अपलिकिंग के संबंध में जुर्माना नहीं लगाया जा सकता और सीमाशुल्क द्वारा उसकी पात्रता को कम नहीं किया जा सकता। एचबीपी खण्ड 1 के पैराग्राफ 4.46 की तरफ भी ध्यान दिलाया गया जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि डीईपीबी दावा फाईल करने के लिए समय अवधि निर्यात तिथि से 12 महीनों की अवधि या निर्यात कार्यवाही की वसूली की तिथि से 6 महीनों या डीजीएफटी वेबसाईट में इडीआई लदान बिल की अपलिकिंग की तिथि या लदान बिल के प्रकाशन/रिलीज की तिथि से 3 महीनों की अवधि; जो भी बाद में है, के अंदर किये जाएंगे।

लेखापरीक्षा का विचार है कि सीमाशुल्क पत्तनों से डीजीएफटी वेबसाईट में इडीआई लदान बिल ब्यौरों के अपलिंकिंग में काफी विलम्ब हुआ था। डीजीएफटी और राजस्व विभाग को डाटा के अपलिंकिंग में विलम्ब के लिए कारणों को दूर करने की आवश्यकता है।

सिफारिश: *डीजीएफटी सीमाशुल्क विभांग के साथ आदान-प्रदान किये गये डाटा के साथ अपनी इडीआई प्रणाली की समीक्षा कर सकता है और नीति प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इडीआई मोड्यूल में अपने डाटा आवश्यकताओं के अनुसार सुधार कर सकता है।*

2.6 डीजीएफटी, आरएज़, सीमाशुल्क विभाग और बैंकों के बीच सहयोग का अभाव

डीईपीबी योजना के कार्यान्वयन में चार प्राधिकरणों डीजीएफटी, डीजीएफटी के आरएज़, सीमाशुल्क विभाग और बैंकों के बीच सहयोगपूर्ण कार्य करने की आवश्यकता थी।

श्री विजय केलकर की अध्यक्षता में वित्त मंत्रालय द्वारा अप्रत्यक्ष कर (अक्तूबर 2002) पर गठित एक टास्क फोर्स ने टिप्पणी की कि *"डीजीएफटी और सीमाशुल्क दोनों सरकार की दो भुजा हैं और यह आवश्यक है कि वे दोनों*

सरकार की नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए इकट्ठे और सामंजस्य के साथ कार्य करें। उसी समय यह भी कहा गया कि सीमाशुल्क (या डीजीएफटी) के अधिकारी क्षेत्रीय स्तर पर अपने व्यक्तिगत कानूनों द्वारा बाध्य होते हैं और किसी डीजीएफटी ओदश के आधार पर कार्य करने में सकुचाते हैं जब तक कि अपने किसी कानून के अंतर्गत उन्हें ऐसा करने हेतु विशेषत: अधिकृत किया गया हो। इस प्रकार, इसका उपचार इन दोनों विभागों के बीच सहयोग बढ़ाने में ही है"।

केलकर समिति की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की गई कार्रवाई रिपोर्ट विभाग से प्रतिक्षित (मार्च 2014) है।

डीईपीबी योजना के अंतर्गत डीजीएफटी ने मदों की दर निर्धारित की है और आरएज़ ने डीजीएफटी द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार डीईपीबी दरों पर निर्यात माल की वसूली गई एफओबी मूल्य के आधार पर निर्यातकों की डीईपीबी स्क्रिपस जारी किये, सीमा शुल्क विभाग ने प्रमाणित किया कि माल को आरए द्वारा जारी स्क्रिप के प्रतिशुल्क मुक्त निर्यात के रूप में निर्यात और अनुमत किया गया और बैंक ने निर्यात माल के विदेश विनिमय की वसूली के लिए प्रमाण पत्र जारी किया। आनलाईन प्रणाली प्रारंभ होने के बाद, लाइसेंस इडीआई लदान बिल (एसबी) के आधार पर जारी किये जा रहे थे, जो आरएज़ और सीमाशुल्क द्वारा सत्यापित किया जा सकते थे।

लेखापरीक्षा ने योजना के कार्यान्यन में शामिल इन सभी चार प्राधिकरणों के बीच सहयोग की कमी के कई मामले देखे। ऐसे कुछ मामले नीचे दर्शाये गये हैं:-

- डीजीएफटी ने 24 मार्च 2009 को हुई बैठक में नीति व्याख्या समिति (पीआईसी) में निर्णय लिया कि 'फिश मील' और 'फिश ऑयल' उत्पाद मूल्य संवर्धित उत्पाद होने के कारण डीईपीबी लाभ के लिए पात्र नहीं थे। बाद में, सीमा शुल्क आयुक्तालय, मैंगलोर ने सितम्बर 2009 में मैंगलोर पत्तन द्वारा उक्त उत्पादों के निर्यात के आधार पर जारी डीईपीबी स्क्रिपस के रद्द करने के लिए आरए, बैंगलुरू को कहा। तथापि, आरए बैंगलुरू ने तर्क किया कि डीईपीबी के अंतर्गत इन उत्पादों का निर्यात

सीमा शुल्क द्वारा स्वीकृत नहीं होना चाहिए और उपयोग की गई/उपयोग न की गई डीईपीबी स्क्रिप की वसूली/को रद्द करने के लिए आरए बैग्लुरू द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इस संबंध में डीजीएफटी, नई दिल्ली के हस्तक्षेप के बाद ही जनवरी 2010 में आरए, बैंगलुरू द्वारा कार्रवाई की गई थी।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2014) कि आरए बैंगलोर वसूली हेतु संबंधित निर्यातकों के साथ लगातार संपर्क में है।

- सीमाशुल्क (निवारक) मुख्य आयुक्त, नई दिल्ली ने पत्र सं.VIII (एसबी) 9/73/आईएनवी/ 2010/9287 दिनांक 3 सितम्बर 2010 द्वारा आरए, नई दिल्ली को डीईपीबी योजना के अंतर्गत निर्यातित फ्रोजन/चिल्ड बफैलो/शीप मीट के निर्यात के संबंध में मै.एम.के. एक्सपोर्टस और मै.एम.के. ओवरसीज़ प्रा. लिमि. द्वारा भारतीय व्यापार वर्गीकरण (आईटीसी) के उल्लंघन के बारे में सूचित किया और अधिनिर्णयन को अंतिम किये जाने तक डीईपीबी स्क्रिपस को जारी न करने का अनुरोध किया। तथापि उक्त निर्यातक को स्क्रिप जारी न करने के लिए 11 अक्तूबर 2010 को अर्थात् आरए, नई दिल्ली द्वारा एक महीने से अधिक विलम्ब के बाद परिपत्र जारी किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 3 सितम्बर 2010 से 11 अक्तूबर 2010 की अवधि के दौरान, ₹ 1.86 करोड़ राशि वाले दस डीईपीबी स्क्रिपस आरए, नई दिल्ली द्वारा इन दो निर्यातकों को जारी किये गये थे।

  डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया कि मै. एमके एक्सपोर्टस के संबंध में मामला निपटा लिया गया था और चेतावनी नोटिस वापस ले लिया गया था और भविष्य में ऐसे नोटिसों के प्रेषण में समय अवधि घटाने के लिए ध्यान रखा जाएगा।

- यह पाया गया कि हालांकि इलैक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) ने पीएन दिनांक 11 जुलाई 2011 के अनुसार 21 मार्च 2011 को पारादीप पत्तन, ओड़िसा में कार्य करना आरंभ कर दिया था, यह योजना समापन अर्थात 30 सितम्बर 2011 तक उचित रूप से कार्य नहीं कर

रही थी। मैन्यूल सिस्टम और ईडीआई सिस्टम दोनों साथ-साथ प्रयोग में थे।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया कि सीमाशुल्क पतन जो इडीआई इनेवल्ड हैं। आईसगेट पर सीमाशुल्क केंद्रीयकृत सर्वर को डाटा भेजते हैं। आईसगेट डाटा का मिलान करता है और इसे डीजीएफटी सर्वर को भेजता है। जब सीमाशुल्क की इडीआई प्रणाली के परिचालन में कोई समस्या होती है, सीमाशुल्क मैन्यूल लदान बिल जारी करता है।

- आरए चेन्नै, कोयम्बटूर, मदुरै, कोची, पुदुच्चेरी, दिल्ली कोलकाता, जयपुर, हैदराबाद, रायपुर, भोपाल, अहमदाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी और तिरूवनंतपुरम में सीमाशुल्क और बैंक प्राधिकारियों के पास पत्र व्यवहार/सूचना आदान-प्रदान के लिए कोई विशेष प्रणाली नहीं थी। बैंक वसूली प्रमाण पत्र (बीआरसीज़) की दोबारा जांच से संबंधित बैंक के साथ आरए और सीमा शुल्क विभाग के बीच कोई अंतर्विभागीय बैठक नहीं हुई। केवल संदिग्ध/विशेष सूचना के मामलों में यह था कि निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किये गये बीआरसीज़ जारीकर्ता बैंक द्वारा सत्यापित किये गये थे। आरए, कोलकाता ने 2005-06 और 2011-12 के बीच की अवधि के दौरान केवल सात मामलों में बीआरसीज़ सत्यापित किये थे।

  आरए, कोलकाता ने उत्तर दिया (अगस्त 2013) कि मामले को डीजीएफटी, मुख्यालय के साथ उठाया जाएगा। आरए, जयपुर ने कहा (जून 2013) कि एफटीपी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था और यह फर्म द्वारा प्रदान किए गए बीआरसीज़ पर निर्भर थी और दस्तावेजों की यथार्थता की घोषणा करते हुए निर्यातक से एक शपथ-पत्र भी प्राप्त किया। एयर कार्गो कांपलैक्स, बैंगलोर ने स्वीकार किया कि डीईपीबी स्क्रिप के दुरूपयोग से संबंधित डीजीएफटी और सीमाशुल्क के बीच सूचना के आदान-प्रदान हेतु विशेष कोई तंत्र नहीं था। आरए, दिल्ली ने कहा कि यह निर्यात सुविधा और प्रोत्साहन के लिए एक संगठन है जो विश्वास के आधार पर कार्य करता है। तथापि, अहतियाती उपायों के

रूप में, बीआरसीज़ सहित पहली बार डीईपीबी स्क्रिपस के लिए आवेदन कर रही फर्म के दस्तावेज किसी लाभ को बढ़ाने से पूर्व सत्यापित किये गये थे।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में बताया कि नये प्रवेशकर्ताओं के लिए बैंको के पास बीआरसीज़ के सत्यापन के बाद डीईपीबी जारी किया गया था। जारी किये गये डीईपीबी स्क्रिपों के अग्रेषण पत्रों की प्रतियां संबंधित बैंक; जिसने बीआरसी जारी किया गया था पक्ष पर दोबारा जांच के लिए भेजी गई थी। ई-बीआरसीज़ के प्रारंभ के बाद, विदेश विनिमय वसूली के ब्यौरे प्रत्यक्ष रूप से (इलैक्ट्रानीकली) डीजीएफटी से आते हैं और लदान बिल ब्यौरें डीजीएफटी को सीमा शुल्क से इलैक्ट्रानीकली ट्रांसमिट किये जाते हैं। संयोग से, वर्तमान में सभी लाभ केवल वसूली के बाद प्रदान किये जा रहे हैं।

- सीमाशुल्क प्राधिकारी को सभी आरएज़ द्वारा जारी डीईपीबी लाइसेंसों का पंजीकरण करना था। तथापि मौजूदा पद्धति ने पंजीकृत डीईपीबी स्क्रिपों को आरए-क्रमानुसार उपलब्ध नहीं करवाया। तीन ईडीआई सीमा शुल्क बन्दरगाहों (आईसीडी, खोड़ियार, एयर कार्गो काम्प्लेक्स, अहमदाबाद तथा कांडला कस्टम हाउस) तथा दो बिना ईडीआई के बन्दरगाहों (पीपावव कस्टम हाउस तथा केऐएसईजेड बन्दगाह, गांधीधाम) पर, उनके साथ पंजीकृत आरए-क्रमानुसार डीईपीबी स्क्रिपस पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी।

- यद्यपि, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आरएज अहमदाबाद तथा कोलकाता पर प्रत्येक छह माह के बाद निर्यातक/एसबी-क्रमानुसार बकाया विदेशी विनिमय दिखाने वाला निर्यात बकाया विवरण (एक्सओएस) प्रस्तुत किया तथापि, यह विवरण योजना जिससे एसबी संबंधित था, के विषय में मौन था जिसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण गतिविधि का प्रतिपादन व्यर्थ है। आरए, हैदराबाद तथा सीमा शुल्क बन्दगाह, हैदराबाद पर आरबीआई से एक्सओएस विवरण प्राप्त नहीं किए गए थे।

यद्यपि, डीजीएफटी तथा सीमा शुल्क विभाग के बीच समन्वय में सुधार हेतु सिफारिशें 2002 से बहुत पहले की गई थी, लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना के कार्यान्वयन के साथ संबंधित एजेंसियों के बीच सूचना/आंकड़ों का अच्छा विनिमय नहीं था।

राजस्व विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि अप्रत्यक्ष कराधान (डॉ. विजय केलकर की अध्यक्षता में) पर टास्क फोर्स की सिफारिशों को सीबीईसी के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विंग द्वारा हैंडल किया गया था तथा प्रतिक्रिया मांगी गई है जो प्रतीक्षित है।

उन्होंने आगे कहा कि:

क) पारादीप पोत पर मैन्युअल तथा ईडीआई सीमा शुल्क प्रणाली दोनों को कार्यरत करने के मामले में भुवनेश्वर आयुक्तालय ने सूचित किया है कि यद्यपि ईडीआई संचालन मार्च 2011 से प्रारम्भ हुआ तथापि, फिरती माड्यूल तथा डीजीएफटी के साथ लिंक ने अक्तूबर 2011 से कार्य आरम्भ किया तथा इसमे आरम्भिक समस्याएं भी थी। मैन्युअल फाइलिंग सक्षम प्राधिकरण की पूर्व अनुमति से था।

तथापि, यह उत्तर ऐसी अनुमति में अन्तर्निहित स्पष्टता के मुद्दे को नहीं दर्शाता है।

ख) सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली के आरए के क्रमानुसार डीईपीबी स्क्रिप पंजीकरण पर सूचना न देने के मामले पर, यह कहा गया कि सीमा शुल्क ईडीआई में लाइसेंस का पंजीकरण करते समय आरए-क्रमानुसार कोई विभेदन नहीं होता क्योंकि डीजीएफटी से ऐसी कोई आवश्यकता प्राप्त नहीं की गई। डीईपीबी लाइसेंस आरए द्वारा पंजीकृत पोत दर्शाते हुए जारी किए गए थे तथा डीजीएफटी द्वारा यह विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है।

सिफारिश: *डीजीएफटी को समस्या का समाधान करने का तरीका निकालकर तथा सभी पुरस्कार और प्रोत्साहन योजना के लिए सीमा शुल्क/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी चेतावनी पर उचित कार्यवाही करके सीमा शुल्क तथा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समन्वय को सुधारने की आवश्यकता है।*

राजस्व विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2014) कि पारितोषिक योजनाओं तथा निर्यात दायित्वों से संबंधित दिनांक 18.01.2011 के बोर्ड के निर्देश संख्या 609/119/2010-डीबीके ने 18 जनवरी 2011 को सभी क्षेत्रीय संरचनाओं को निर्देश दिए कि ''जहां पर सीमा शुल्क अधिकारी तथा स्थानीय आरएलए के अधिकारी की ज्ञान विनिमय, दुरूपयोग की जांच तथा ऐसे मामलें जहां निर्यात दायित्व अवधि उस तिमाही/पिछली तिमाही में समाप्त हो गई है, में ईओ पूर्ति स्थिति के लिए प्रत्येक तिमाही अथवा परस्पर सहमत अवधि में कम से कम एक बार बैठक होती है ताकि चूककर्त्ताओं के प्रति संबंधित कार्रवाई की जा सके''। प्रमुख क्षेत्रीय संरचनाओं ने सूचित किया है कि सीमा शुल्क तथा आरए के बीच नियमित वार्तालाप होती है। बोर्ड समन्वय में आगे सुधार के लिए इन निर्देशों को दोहराना चाहेगा।

डीजीएफटी ने बताया कि आगामी योजनाओं में अनुपालन के लिए सिफारिशों को नोट किया गया है। इसके अलावा, डीजीएफटी ने कहा कि डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकरण तथा स्थानीय सीमा शुल्क संरचना के बीच तिमाही बैठकें नियमित आधार पर आयोजित की जा रही है।

2.7 आरएज द्वारा बैंक वसूली प्रमाण पत्र (बीआरसीज)/कानूनी शपथ पत्रों एलयूटीज) की निगरानी न होना

आरए जहां आरबीआई द्वारा स्वीकृत के रूप में स्क्रिप धारक बीआरसी प्रस्तुत करने अथवा विस्तार करने में विफल होते है, शुल्क क्रेडिट की वसूली के लिए कार्रवाई आरम्भ कर सकता है। ऐसे मामलें में जहां बीआरसी प्रस्तुत नहीं की जाती है, वहां स्वीकृत शुल्क क्रेडिट के रूप में उसी राशि के लिए एलयूटी को एचबीपी, खण्ड । के पैराग्राफ 4.45 के अनुसार प्रस्तुत किया जाना है। तथा एलयूटी रजिस्टर के माध्यम से देखा जाना है। दिनांक 30 मार्च 2009 की पीएन के अनुसार, लाइसेंस प्राधिकारी को अप्रैल 2009 के बाद से जारी लाइसेंस के संदर्भ में बीआरसी की प्रस्तुति की निगरानी करनी थी।

(क) निर्धारित समय-सीमा के अन्दर बीआरसीज प्रस्तुत न करना

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 15 आरएज़ पर ₹ 709.59 करोड़ मूल्य के शुल्क क्रेडिट वाले 1652 डीईपीबी स्क्रिपस की निर्यात आय के लिए बीआरसीज प्रस्तुत नहीं किए गए थे। पहले जारी स्क्रिप के अनुपालन के बिना निर्यातक को नए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप जारी किए गए।

- आरए, कोलकाता ने 55 मामलों मे एससीएन जारी किए जिनमें से 15 मामलों में, स्क्रिप धारकों द्वारा लेखापरीक्षा में बताए जाने के पश्चात् बीआरसी प्रस्तुत किए गए है।

  डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि 26 मामलो में पार्टी ने दस्तावेज प्रस्तुत किए तथा शेष मामलों में, मामलों को अंतिम रूप देने के लिए एससीएन जारी किए गए।

- आरए, अहमदाबाद ने ब्याज के साथ अतिरिक्त शुल्क क्रेडिट की वसूली के लिए 20 डीईपीबी स्क्रिपस के प्रति मांग पत्र जारी किए थे। तथापि, निर्यातकों ने मांग पत्र जारी होने की तिथि 52 से 787 दिन बीत जाने के पश्चात् (जून 2013) भी न तो शुल्क का भुगतान किया था न ही बिना उपयोग किए डीईपीबी स्क्रिपस सौपें।

- आरए, भोपाल ने 61 मामलों में ₹ 44.33 लाख की बैंक गारन्टी जब्त की तथा ₹ 8.29 करोड़ राशि अभी तक लंबित है।

- एसीसी, बैंगलुरू तथा एनसीएच, मैंगलोर द्वारा प्रस्तुत डीईपीबी एसबी आंकडों के विश्लेषण की आरबीआई द्वारा प्रस्तुत एक्सओएस से तुलना की गई तथा यह पाया गया कि एसीसी, बैंगलुरू तथा एनसीएच, मैंगलोर के संबंध में वसूली के लिए ₹ 42.09 करोड़ की राशि के 225 डीईपीबी एसबीज लंबित थे।.

- आरए, जयपुर ने फरवरी 2009 से अक्तूबर 2010 के दौरान ₹ 1.17 करोड़ के 16 डीईपीबी स्क्रिपस जारी किए, तथापि स्क्रिप धारकों ने स्क्रिप जारी होने के 12 माह के अन्दर बीआरसीज प्रस्तुत नहीं किए।

- आरए भोपाल तथा आरए अहमदाबाद को छोड़कर, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र नहीं था कि निर्यात प्राप्ति की बाद में वसूली की जाती है। वसूली के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उचित समय विस्तारण की मंजूरी से संबंधित इन मामलों के संदर्भ में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। उन मामलों को देखने के लिए कोई तंत्र नहीं था जहां निर्यात आय की वसूली तथा परिणामस्वरूप क्रेडिट की वसूली होने में विफलता थी।

यह बताए जाने पर, आरए जयपुर ने उत्तर दिया (जून 2013) कि निर्यातक द्वारा निर्यात आय की आंशिक वसूली के प्रमाण प्रस्तुत किए गए तथा शेष वसूली के लिए फर्म शीघ्र ही प्रमाण प्रस्तुत करेगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अशंत: प्राप्त बीआरसीज की प्रतियां लेखापरीक्षा को नहीं दी गई। आरए दिल्ली ने उत्तर दिया कि मामलों की समीक्षा की जाएगी तथा नीति प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

(ख) कानूनी शपथ (एलयूटी) रजिस्टर में पाई गई विसंगतियां

आरएज पर एलयूटी रजिस्टर के अनुरक्षण मे निम्नलिखित विसगतियां पाई गई:

- आरए, अहमदाबाद एलयूटी रजिस्टर का अनुरक्षण कर रहा था जो अपूर्ण तथा एलयूटीज के प्रति जारी स्क्रिपस के संदर्भ में पूर्ण जानकारी के बिना था। अर्थात् फाइल संख्या, स्क्रिप संख्या, एलयूटी संख्या, तिथि तथा एलयूटी की राशि आदि। इसके अलावा, सारांश के रूप में वसूली के कारण लंबित मामलों का वर्ष-वार विवरण भी रजिस्टर में तैयार नहीं किया गया था। मामलें जो समाप्त दिखाए गए थे, पर एक सक्षम अधिकारी के कोई हस्ताक्षर नही थे।
- आरए, जयपुर पर तैयार एलयूटी रजिस्टर अपूर्ण थे तथा एलयूटी मामलों की निगरानी के लिए आवश्यक सूचना सम्मिलित नहीं थी। बकाया एलयूटी मामलों का सारांश भी नहीं बनाया गया था। एलयूटीज के प्रति बीआरसीज के बिना जारी 61 डीईपीबी स्क्रिपस (वर्ष 2009-10

की 13, 2010-11 की 16 तथा 2011-12 की 12) की विस्तृत सूचना सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

- आरएज मुम्बई तथा पुणे द्वारा रखे गए एलयूटी रजिस्टर से पता चला कि रजिस्टर के साथ-साथ ईडीआई में अनुरक्षित आंकडे अद्यतन नहीं थे। अपेक्षित बीआरसीज की प्रस्तुति के पश्चात् फाइल बन्द करने का तरीका समान तथा व्यवस्थित भी नहीं था।

एलयूटी रजिस्टर में पूर्ण विस्तार के अभाव में, एलयूटी मामलों की निगरानी तथा उनकी वसूली के महत्वपूर्ण उद्देश्य विफल हुए।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि एलयूटी के प्रति डीईपीबी के लिए मुख्य रजिस्टर अद्यतन किया गया हैं तथा जहां भी बीआरसी प्राप्त नहीं हुआ है, वहां पर एफटी (डी एंड आर) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत फर्मो के प्रति कार्रवाई प्रारम्भ की गई है।

प्रारम्भ की गई वास्तविक कार्रवाई से लेखापरीक्षा को सूचित किया जाए।

2.8 डीईपीबी स्क्रिपस के दुरूपयोग तथा शिकायतों के निवारण के संदर्भ में रिकॉर्ड/सूचना न देना

लेखापरीक्षा ने आरए, अहमदाबाद को प्रांसगिक एससीएन/अधिनिर्णय फाइलों के साथ मई 2013 में डीईपीबी स्क्रिपस के दुरूपयोग तथा शिकायतों के समाधान के लिए प्रणाली के संबंध में जानकारी प्रदान करने हेतु अनुरोध किया।

सूचना प्रस्तुत करते समय, आरए अहमदाबाद ने कहा कि उनके पास वर्ष-वार संकलन उपलब्ध नहीं था। डीईपीबी स्क्रिप से संबंधित एससीएन/अधिनिर्णय फाइलो के विषय में, आरए, अहमदाबाद ने उत्तर दिया चूंकि जब से ईसीए प्रमुख रजिस्टर में एससीएन/अधिनिर्णय मामलों की लाइसेंस के क्रम में सूचना नहीं थी अत: सूचना उपलब्ध नहीं थी।

आरए, अहमदाबाद ने लेखापरीक्षा को एससीएन/निश्चित मांग फाइल नहीं दी तथा उनसे इसकी आवश्यकता के लिए विशेष कारण बताकर ऐसी फाइलो को जांचने के लिए निर्णय देने वाले प्राधिकारी से अनुमति की मांग की। आरए ने

आगे कहा चूंकि लेखापरीक्षा दल को लिखित में एक शपथ पत्र देकर ऐसी फाइलों के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी कि जब से इसमें दस्तावेजों के नुकसान अथवा फाइलें जो मामले के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, के गलत जगह रखने का जोखिम शामिल है।

डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2014) कि ईसीए मुख्य रजिस्टर में वित्त वर्ष 2005 से वित्त वर्ष 2012 की लेखापरीक्षा अवधि के लिए जारी डीईपीबीजे से संबधित कोई सूचना नहीं है। तथापि, आरए अहमदाबाद ने बताया कि उन्होने अपने ईसीए डिवीजन को उपरोक्त कथित अवधि के लिए लेखापरीक्षा दल को ईसीए मुख्य रजिस्टर दिखाने/देने का निर्देश दिया है। यदि वे अपनी सुविधानुसार पुन: आरए के पास जाते है।

उपरोक्त लेखापरीक्षा के लिए रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में आरए अहमदाबाद की अनिच्छा दर्शाता है। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए डीजीएफटी द्वारा अनिवार्य कार्रवाई की जा सकती है। लेखापरीक्षा को की गई कार्रवाई कृपया सूचित की जाए।

2.9 आरएज में रिकॉर्ड का अनुरक्षण न किया जाना

लेखापरीक्षा ने पाया कि आरएज हैदराबाद तथा विशाखापट्नम द्वारा डीआरआई मामलों; खोज तथा बरामदगी रिकॉर्ड; अपील मामलों, सीबीआई मामलों, एससीएन मामलों, विशेष मूल्यांकन शाखा (एसवीबी) मामलों, राजस्व के बकाया एरियर का विवरण, पश्च निकासी लेखापरीक्षा (पीसीए) तथा ऑन साइट पोस्ट क्लीयरेंस लेखापरीक्षा (ओएसपीसीए) मामलों की सूची नहीं बनाई जा रही है।

डीजीएफटी आरएज को सभी प्रोत्साहन योजनाओं के लिए रिकॉर्ड का अनुरक्षण करने का निर्देश दे सकता हैं ताकि वे मामलों पर नजर रख सकें तथा परिचालन दोष से बचा सके। लेखापरीक्षा को समय पर रिकॉर्ड उपलब्ध कराना विधायी नियंत्रण तंत्र का अनिवार्य भाग है। इससे नीति के कार्यान्वयन से संबंधित सम्पूर्ण लेन-देन का एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने में लेखापरीक्षा की मदद भी होती है। डीजीएफटी भविष्य की सभी लेखापरीक्षा के लिए इसे सुनिश्चित कर सकता है।